FIROZABAD POLICE

सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा

प्रेस नोट दिनांक 03-06-2024 थाना नगला सिंघी जनपद फिरोजाबाद।

थाना नगला सिंघी पुलिस द्वारा 02 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या करने वाले 02 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, साथ ही एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

दिनांक 02.06.2024 को वादी श्री देवेन्द्र उर्फ कल्याण निवासी ठार हाथी थाना नगला सिंघी जनपद फिरोजाबाद द्वारा अपने पुत्र रुपेन्द्र उम्र करीब 02 वर्ष की निर्मम हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना नगला सिंघी पर मु0अ0सं0 67/2024 धारा 302/201 भादवि बनाम 1. बर्फी देवी पत्नी देवेन्द्र उर्फ पप्पू 2. रवि पुत्र देवेन्द्र उर्फ पप्पू 3. रोकी उर्फ अनिल पुत्र देवेन्द्र उर्फ पप्पू व 4- एक बाल अपचारी पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी टूण्डला के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.06.2024 को थाना नगला सिंघी पुलिस टीम द्वारा अंदर 24 घण्टे मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 67/2024 धारा 302/201/34 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1. बर्फी देवी पत्नी देवेन्द्र उर्फ पप्पू 2. रवि पुत्र देवेन्द्र उर्फ पप्पू को गदलपुरा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है, साथ ही एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है।

घटना का विवरण- दिनांक 06-09-2023 को वादी देवेन्द्र उर्फ कल्याण के चचेरे भाई हरीश उम्र करीब 09 वर्ष पुत्र पुरुषोत्तम का शव गांव के बाहर खेत में पड़ा मिला था जिसमें दिनांक 08-09-2023 को थाना नगला सिंघी पर मु0अ0सं0 165/23 धारा 304ए/504/506 भादवि बनाम 1-देवेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र शिवकरन, 2-रोकी उर्फ अनिल पुत्र देवेन्द्र उर्फ पप्पू, 3- रवि पुत्र देवेन्द्र उर्फ पप्पू , 4- बर्फी देवी पत्नी देवेन्द्र उर्फ पप्पू पंजीकृत कराया गया था। उक्त मुकदमे में देवेन्द्र उर्फ पप्पू वर्तमान में जिला कारागार में निरूद्ध हैं जबकि रोकी उर्फ अनिल जमानत पर बाहर हैं। शेष 02 अभियुक्तों की नामजदगी गलत पायी गयी थी। उसी रंजिश के तहत अभियुक्तों ने देवेन्द्र उर्फ कल्याण के 02 वर्षीय पुत्र को गली से जाते समय अपने घर बुला लिया एवं उसकी हत्या कर दी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तः-

1. बर्फी देवी पत्नी देवेन्द्र उर्फ पप्पू निवासी ठार हाथी थाना नगला सिंधी जनपद फिरोजाबाद।
2. रवि पुत्र देवेन्द्र उर्फ पप्पू निवासी ठार हाथी थाना नगला सिंधी जनपद फिरोजाबाद।

एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 165/23 धारा 304ए/504/506 भादवि थाना नगला सिंघी जनपद फिरोजाबाद।
2. मु0अ0सं0 67/24 धारा 302/201/34 भादवि थाना नगला सिंघी जनपद फिरोजाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष कृपाल सिंह थाना नगला सिंघी जनपद फिरोजाबाद।
2. व0उ0नि0 अनिल कुमार थाना नगला सिंघी जनपद फिरोजाबाद।
3. उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना नगला सिंघी जनपद फिरोजाबाद।
4. है0का0 485 रणजीत सिंह थाना नगला सिंघी जनपद फिरोजाबाद।
5. का0 612 बबलू कुमार थाना नगला सिघी जनपद फिरोजाबाद।
6. म0का0 295 राधारानी थाना नगला सिंघी जनपद फिरोजाबाद।